Form no III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

# अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **निम्बाहेडा**

श्रीमति गुड्डी पत्नी कालुलाल नायक बनाम श्री चतरू जी पिता मांगु नायक किस्म मुकदमा **प्रार्थना पत्र** मु.न. **39** सन् **2024**

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म |
|---|---|---|
| 15.04.2024 | पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस में प्रकट तथ्यों व दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 500/–रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी व प्रार्थी की भूमि से लगे हुए सभी पड़ोसी खातेदारों को सूचना–पत्र जारी करते हुए उनकी उपस्थिति में, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में तथा किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी आराजियात वाके मौजा बांगरेड़ा पटवार हल्का बांगरेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 250 की आराजी नंबर 497 रकबा 0.2400 हेक्टे[illegible] किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये ब[illegible] पत्थ[illegible] करें। फीस कमिश्नर प्रार्थी से वसूल की [illegible] पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करें। पत्थरगढ़ी हु[illegible] / आदेश सरे इजलास सुनाया जाकर अलग से कम्प्युटरराई[illegible] करा शा.फा. किया गया जिसकी प्रति तहसीलदार निम्बाहेड़ा को पालनार्थ भेजी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>निम्बाहेड़ा | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.08.27 15:24:04 IST
Reason: SelfAttested